

द्वितीय संशोधन।

प्रेषक,

निदेशक,

समाज कल्याण,

उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन,

समाज कल्याण, अनुभाग-3

पत्रांक 2230-31 स0क0/शिक्षा-अ/8/C.N.- 287308/2026-27,

लखनऊ: दिनांक 16 सितम्बर, 2026

विषय-वित्तीय वर्ष 2025-26 में शिक्षण संस्थाओं से आवेदन अग्रसारित न होने, पी0एफ0एम0एस0 से रिजेक्ट होने एवं कतिपय अन्य कारणों से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग के वंचित छात्रों को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति के भुगतान हेतु पोर्टल खोलने के सम्बन्ध में संशोधित समय-सारिणी निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-107/2026-2325/26-3-2026-1961934 दिनांक 29-08-2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति (अदर-देन इण्टर) योजनान्तर्गत शिक्षण संस्थाओं से आवेदन अग्रसारित न होने, पी0एफ0एम0एस0 से रिजेक्ट होने एवं कतिपय अन्य कारणों से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के वंचित छात्रों हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में समय-सारिणी निर्गत करते हुये समय-सारिणी के अनुसार पोर्टल खोले जाने एवं उक्त छात्रों हेतु छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) का भुगतान कराने के निर्देश दिये गये हैं।

2- उक्त के सम्बन्ध में उल्लेख करना है कि सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ के पत्रांक- प्रशिप/2026/4999 दिनांक 08-09-2026 द्वारा अवगत कराया गया है कि सत्र 2026-26 में पोर्टल पर आवेदित परन्तु डाटा त्रुटि होने के कारण व विभिन्न तकनीकी कारणों हेतु निर्गत समय सारिणी में विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा फीस/सीट आदि का सत्यापन दिनांक 08-09-2026 तक किया जाना है, किन्तु विश्वविद्यालय द्वारा छात्रवृत्ति पोर्टल लागिन करते हुये पोर्टल पर तकनीकी समस्या होने के कारण संस्थाओं द्वारा लाक की गयी फीस/सीट आदि का सत्यापन नहीं किया जा सका। जिला समाज कल्याण अधिकारी के पत्रांक- 2473-76 दिनांक 07-09-2026 द्वारा अवगत कराया गया है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के वंचित छात्रों हेतु निर्गत समय-सारिणी के अनुसार पुनः पोर्टल खोले जाने के क्रम में जनपद के कतिपय शिक्षण संस्थाओं द्वारा तकनीकी त्रुटि के कारण मास्टर डाटा भरना सम्भव नहीं हो सका है।

3- तत्क्रम में निदेशालय पत्रांक- 2121-22 दिनांक 09-09-2026 द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में आवेदित परन्तु विभिन्न तकनीकी/अन्य कारणों से योजनान्तर्गत लाभान्वित होने से वंचित रह गये पात्र छात्रों हेतु संशोधित समय-सारिणी का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है। उल्लेख करना है कि प्रकरण में कतिपय संस्थानों द्वारा तकनीकी कारणों से मास्टर डाटा सम्बन्धी कार्यों को पूर्ण नहीं किया जा सका है। शिक्षण संस्थानों एवं विश्वविद्यालय स्तर पर डाटा सत्यापन एवं अग्रसारण हेतु लम्बित है। तत्क्रम में पुनः संशोधित सारिणी का प्रस्ताव निम्नवत है:-

क्र०	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	समयावधि
1	शिक्षण संस्था द्वारा मास्टर डाटा तैयार करना मास्टर डाटा में प्रदेश की पूर्व से सम्मिलित संस्थाओं द्वारा पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, पाठ्यक्रमवार कुल सीटों की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, पाठ्यक्रमवार एफिलियेटिंग एजेंसी/विश्वविद्यालय के नाम आदि सूचनाओं को अंकित / अद्यतन करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना।	01 सितम्बर, 2026 से 20 सितम्बर, 2026 तक

2	विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा फीस आदि का सत्यापन प्रदेश के अन्दर सम्बन्धित विश्वविद्यालय / एफिलियेटिंग एजेंसी केनोडल अधिकारी द्वारा शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस आदि को अंकित कर उसकी प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाइन सत्यापित करना।	02 सितम्बर, 2026 से 21 सितम्बर, 2026 तक
3	जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा फीस आदि का सत्यापन प्रदेश के अन्दर जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस आदि को अंकित कर उसकी प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाइन सत्यापित करना।	03 सितम्बर, 2026 से 22 सितम्बर, 2026 तक
4	विश्वविद्यालय / एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा रिजल्ट अपलोड करना	03 सितम्बर, 2026 से 21 सितम्बर, 2026 तक
5	एन०आई०सी० द्वारा स्कूटनी PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त प्राप्त डाटा को एन०आई०सी० द्वारा निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण करके शुद्ध डाटा पर निर्णय हेतु जनपदीय लागिन पर व छात्र के आवेदन में हुई त्रुटियों के संशोधन हेतु डाटा छात्र के लागिन पर उपलब्ध कराना।	11 सितम्बर 2026 से 23 सितम्बर 2026 तक
6	त्रुटिपूर्ण आवेदन को शिक्षण संस्थान के स्तर से सही करना। छात्र द्वारा किये गये आनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों को शिक्षण संस्थान के स्तर से सही किया जाना।	24 सितम्बर, 2026 से 26 सितम्बर, 2026 तक
7	शिक्षण संस्था द्वारा सत्यापित एवं पात्र डाटा अग्रसारित करना। शिक्षण संस्थान द्वारा अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों के आवेदन आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	24 सितम्बर, 2026 से 28 सितम्बर, 2026 तक
8	एन०आई०सी० द्वारा पुनः स्कूटनी शिक्षण संस्थान द्वारा सही किये गये सन्देहास्पद डाटा को एनआईसी की राज्य ईकाई में विभिन्न बिन्दुओं पर पुनः परीक्षण करके जनपदीय लागिन पर उपलब्ध कराना।	29 सितम्बर, 2026 से 01 अक्टूबर, 2026 तक
9	जनपदीय समिति द्वारा शुद्ध एवं सस्पेक्ट डाटा को लॉक करना जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा सन्देहास्पद एवं अवशेष शुद्ध डाटा वाले छात्रों के डाटा पर निर्णय करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा लॉक किया जाना।	24 सितम्बर, 2026 से 02 अक्टूबर, 2026 तक
10	मांग सृजन जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर एन०आई०सी० की राज्य ईकाई से मांग सजित कराना।	03 अक्टूबर, 2026 से 05 अक्टूबर, 2026 तक
11	धनराशि का अन्तरण जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर PFMS प्रणाली के माध्यम से छात्र/ छात्राओं के आधारसीडेड/एन०पी०सी०आई० से मैच बैंक खातों में धनराशि अन्तरित करनेकी कार्यवाही।	06 अक्टूबर, 2026 से 07 अक्टूबर, 2026 तक

अतः शासन से अनुरोध है कि कृपया तदनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 के वंचित छात्रों हेतु शासन स्तर पर आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
Digitally signed by
SANJEEV SINGH
Date: 16-09-2026
14:27:41
(संजीव सिंह)
निदेशक।

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ निदेशक (आईटी) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, योजना भवन, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Digitally signed by
ANAND KUMAR SINGH
Date: 16-09-2026
15:22:35
(आनन्द कुमार सिंह)
उप निदेशक